



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



IN-UP30967833326171Y

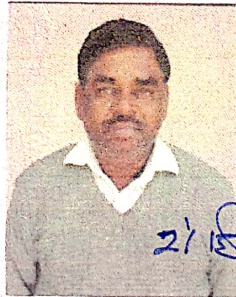
e-Stamp

Certificate No. : IN-UP30967833326171Y  
Certificate Issued Date : 02-Jan-2026 12:34 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14221204/ BUDHANPUR/ UP-AZG  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1422120457983868723472Y  
Purchased by : PURVANCHAL J K T TRUSTY ROHIT VERMA SO SIDDHU  
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : PURVANCHAL J K T TRUSTY ROHIT VERMA SO SIDDHU  
Second Party : PURVANCHAL J K T TRUSTY ROHIT VERMA SO SIDDHU  
Stamp Duty Paid By : PURVANCHAL J K T TRUSTY ROHIT VERMA SO SIDDHU  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,200  
(One Thousand Two Hundred only)

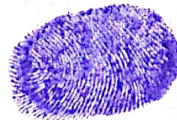


Signature-  
ACC Name - Rajendra Yadav  
ACC Code- UP14221204  
ACC Add.- Burhanpur, Azamgarh  
Mob. No.-9592929470, L.N.-36A  
Tehsil & District- Burhanpur, Azamgarh

Please write or type below this line



21/12/25



PF 0007487385

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner

SHIL



0007847000

## दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास)

मै रोहित वर्मा पुत्र स्व. श्री सिद्धू वर्मा ग्राम- अमारी, पोस्ट- अमारी (कोयलमा) तहसील- बूढ़नपुर जिला- आजमगढ़ (उ०प्र०) का निवासी हूँ। मैं पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट ग्राम- बांसी-जाप्ती माँफी, पोस्ट- कौड़िया, जिला-आजमगढ़ (उ०प्र०)का दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से रजिस्टर्ड करता हूँ।

### 1- पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता-

पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट, भारतीय लोक न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधानों के तहत पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है। इस पब्लिक ट्रस्ट पर भारतीय लोक न्यास अधिनियम 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे, जो इस न्यास के संचालन के लिये आवश्यक है तथा न्यायिक विधि में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन के लिये प्रतिबद्ध है।

2- पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास) का नाम - पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट

3- पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास) का स्थाई पता-ग्राम- बांसी-जाप्ती माँफी, पोस्ट- कौड़िया, जिला-आजमगढ़ (उ०प्र०)

4- पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास) का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारतवर्ष

5- पब्लिक ट्रस्ट निर्माता (लोक न्यासकर्ता) - रोहित वर्मा

6- न्यास द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद - रोहित वर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी

7- न्यासधारी ट्रस्टी-पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट ग्राम- बांसी-जाप्ती माँफी, पोस्ट- कौड़िया, जिला-आजमगढ़ (उ०प्र०)

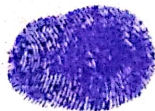
8- उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये है-

| क्र.सं. | नाम ट्रस्टी                                       | पद                | व्यवसाय  | निवास का पता                                                     |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1.      | रोहित वर्मा<br>पुत्र स्व० सिद्धू वर्मा            | मैनेजिंग ट्रस्टी  | समाजसेवा | ग्राम व पोस्ट - अमारी ,<br>जिला - आजमगढ़                         |
| 2.      | तारिणी प्रसाद दुबे<br>पुत्र श्री सुनील चंद्र दुबे | अध्यक्ष / ट्रस्टी | समाजसेवा | ग्राम व पोस्ट - वनकटजगदीश,<br>जिला - आजमगढ़                      |
| 3.      | धर्मेन्द्र कुमार सिंह<br>पुत्र श्री जयनारायण सिंह | ट्रस्टी           | समाजसेवा | 1/11 न्यू विकाश नगर कॉलोनी,<br>पोस्ट - पीरनगर, जिला गाज़ीपुर     |
| 4.      | राजेश वर्मा<br>पुत्र स्व० कोमल वर्मा              | ट्रस्टी           | समाजसेवा | ग्राम- तिहाईत पुर पोस्ट-<br>राजेसुल्तानपुर, जिला- अंबेडकर<br>नगर |
| 5.      | प्रमोद कुमार वर्मा<br>पुत्र श्री विश्वनाथ वर्मा   | ट्रस्टी           | समाजसेवा | ग्राम व पोस्ट - सिरसिया, पोस्ट -<br>जमुनीपुर, जिला अम्बेडकरनगर   |

### 9- ट्रस्ट का स्वरूप-

यह ट्रस्ट जनहित में समाजसेवा के उद्देश्य से संगठित एक गैर सरकारी अलाभकारी सैद्धिक संगठन है, जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करेगी।

21/11/21





#### 10- लाभग्राही-

भारत में निवास करने, समस्त भारतीय लोगों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिये यह ट्रस्ट कार्य करेगा और सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा एवं मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगा।

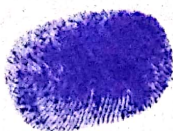
#### 11- लाभग्राही व्यक्ति-

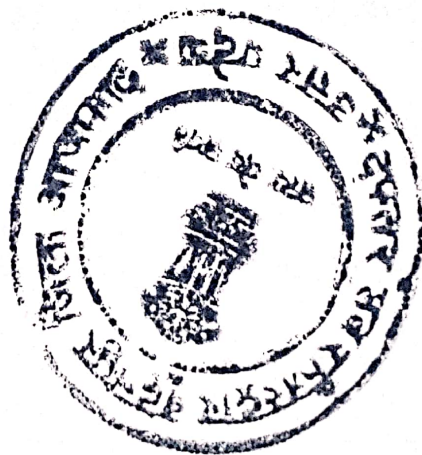
लोक न्यास द्वारा किसी भी प्रकार कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट लोक कल्याण के लिये जनहित में विकास व ट्रस्ट के कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

#### 12- ट्रस्ट के उद्देश्य-

- (1) कार्य क्षेत्र के निवासी विशेषतः कमजोर वर्ग के लोगों के तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्यक्रमों का संचालन तथा संयोजन करना।
- (2) क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के लिये मार्गदर्शन करना। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये कुटीर उद्योग तथा कुटीर उद्योग से संबंधित योजनायें बनाना तथा कार्यक्रम बनाना।
- (3) क्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग कमीशन / बोर्ड द्वारा और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की अन्य योजना तथा खादी ग्रामोद्योग के विकास हेतु प्रशिक्षण निःशुल्क साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था करना।
- (4) क्षेत्र के लोगों के विकास के लिये विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के कार्यक्रमों का संचालन तथा सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई आदि के साथ ही साथ पेन्टिंग, व्यूटीमॉलर व टाईपिंग, शार्टहैण्ड की शिक्षण प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
- (5) संस्था के कार्य क्षेत्र के निवासियों विशेषतः अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, असहाय वैश्य महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना और विशेषतः क्षेत्रीय गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये अधिकाधिक रोजगार के अवसरों हेतु मार्गदर्शन देना।
- (6) विकास आयुक्त, हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (7) परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा अभावग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (8) शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की अवस्थापना प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जल संग्रहण, वाटर शेड, डेवलपमेन्ट तथा उसर भूमि सुधार के कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (9) जीव जन्तुओं के कल्याण के लिये कार्यक्रमों का संचालन करना, एनीमल हस्बेन्डरी, डेयरी फार्म, पशु पालन (बकरी, सूअर, भेड़ आदि), वृनकरो के विकास के लिये तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पेट्रोलियम के कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (10) बालक / बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये नर्सरी, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय व संस्कृत एवं उर्दू, एवं फारसी अरबीविद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना करना तथा संबंधित सरकारी संस्थाओं से (जैसे यू. पी. बोर्ड, सी.बी.एस.सी., विश्वविद्यालय) से संबद्धता प्राप्त कर संचालन करना।
- (11) पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- (12) ज्ञान विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
- (13) निर्धन असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराना।

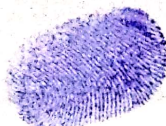
21/5/21





- (14) बालक-बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर की जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास करना।
- (15) दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, महामारी, अग्निकाण्ड, भूकम्प एवं भयंकर बीमारियों के समय जनता को हर संभव मदद करना।
- (16) औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा व बाल शिक्षा केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित कर अशिक्षित जनता को शिक्षित करना।
- (17) समाज में व्याप्त भयंकर बीमारियों जैसे एड्स, मलेरिया, तपेदिक, टी०वी०, कुष्ठ रोग व संक्रामक बीमारियों से बचाने हेतु प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।
- (18) विकलांगों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- (19) समाज के विभिन्न वर्गों से निष्कासित तलाकशुदा, विधवा निराश्रित महिलाओं, बालक / बालिकाओं के रख-रखाव एवं देख रेख शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास की व्यवस्था संबंधित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का निशुल्क प्रचार प्रसार करना।
- (20) सरकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शारीरिक, नेत्रहीन, अस्थि विकलांग एवं मूकवधिर एवं मानसिक विकलांगों के लिये विशेष विद्यालय के साथ साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन प्रदान करना।
- (21) हस्तकला एवं शिल्पकला के प्रोत्साहन हेतु हर संभव प्रयास करना तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- (22) ग्रामीण रोजगार एवं विकास कार्य हेतु कृषि, पशुपालन, बागवानी, रेशम उत्पादन, दरीकालीन, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन, मशरूम खेती, जेस्ट्रोफा पौधे पुष्प तथाक संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना व पापड़ बनाने का शिक्षण व प्रशिक्षण देना।
- (23) चिकित्सालयों (आर्युवेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक), पुनर्वास केन्द्र, प्रारम्भिकचिकित्सा केन्द्रों, कुष्ठ, वृद्धा आश्रम की स्थापना व निर्माण तथा व्यवस्था करना।
- (24) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के पिछड़े वर्ग के बच्चों व नाबालिग तथा लावारिस बच्चों के लिये बनाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- (25) दहेज, अद्वैत, दहेजप्रथा, निरक्षरता, बाल विवाह वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण एवं निवारण करना।
- (26) संस्था द्वारा समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं महापुरुषों के जयन्ती संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (27) राष्ट्रीय दिवस एवं समाज सेवा कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देना जैसे परिवार कल्याण, महिला शिक्षा, वृक्षारोपण, साक्षरता मिशन, विकलांग कन्याण, पोलियों अभियान, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रसार प्रचार करना।
- (28) जीव जन्तु के संरक्षण हेतु संस्था के माध्यम से प्रचार करना व जहरीले जन्तुओं व जानवरों से लोगों में होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूकता पैदा करना।
- (29) समाज के गरीबों महिलाओं एवं पुरुषों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु देश और विदेश की संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके उक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
- (30) केन्द्र सरकार, विश्व बैंक, राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम नियोजन की जानकारी कराना।
- (31) स्वयं सहायता समूह का गठन करके लोगों को स्वावलम्बी बनाना व उनके आर्थिक विकास में सहयोग देना।
- (32) वृनकरो की गिरती आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु हर संभव प्रयास कर उनको स्वावलम्बी बनाना।
- (33) आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी केन्द्रों की निशुल्क स्थापना करना।

21/11/21



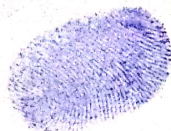


- (34) किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी ग्रामोद्योग आयोग / खादी बोर्ड, संघ राज्य सरकार से चन्दा, दान, अनुदान, संदान, वसीयत और धरोहरों के रूप में नकद या चल एवं अचल सम्पत्ति तथा भूमि भवन आदि प्राप्त कर निर्माण करना तथा उनके विस्तार व रख-रखाव का प्रबन्ध करना तथा व्यक्तियों के समूह तथा सरकारी, गैर सरकारी एवं वैश्विक संस्थाओं से ऋण लेना व ऋण देना।
- (35) संस्था तथा संस्था द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करना।
- (36) संस्था की चल अचल सम्पत्ति का धार, संभाल, हस्तान्तरण, विनियम, न्यासीकरण, उत्तराधिकार में सम्पूर्ण या अन्य किसी भी प्रकार से उसका निपटारा या व्यवहार करना।
- (37) संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दान, चन्दा प्राप्त करना तथा सभी विधि सम्मत कार्य तथा तत्संबंधी व्यय करना।
- (38) ग्रामोद्योगों के परम्परागत कारीगरों की पहचान करना, ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के कारीगरों को प्रशिक्षित करना तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग/ खादी बोर्ड से ग्रामीण कारीगरों के लिये (रिलोनिंग का प्राविधान) ऋण, अनुदान प्राप्त कर कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त ऋण, अनुदान उनमें वितरित करना और आयोग / बोर्ड के धन की सुरक्षा हेतु जमानती कार्यवाही करना तथा देय किश्तों की वसूली कर आयोग / बोर्ड को वापस करना।
- (39) किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा परम्परागत खेती के लिये प्रेरित करना तथा नवीनतम कृषि यन्त्रों एवं जैविक खादों के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि में सहयोग करना।
- (40) लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना व संचालन करना तथा योग्य, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे एनएम, जेएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फिजियो थेरेपीस्ट आदि अन्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना। इसको विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिये सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से मान्यता एवं अनुदान आदि प्राप्त करना।
- (41) योग, नेचुरोपैथी, थेरेपी आदि केन्द्रों की स्थापना, संचालन करना तथा आयुष मंत्रालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (42) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे बायोकेमिक, एक्जुप्रेसर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इलेक्ट्रो होमियोपैथी, एक्जुपंचर, चुम्बकीय फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, टेक्नीशियन लैब, केमिकल रिसर्च सेन्टर, अंग्रेजी दवा, एलोपैथ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मेडिकल स्टोर की स्थापना करना, लोगों के स्वास्थ्य के लिये कम दामों में क्रयविक्रय करना/कराना तथा यूनानी इत्यादि पद्धतियों के विकास के लिये प्रचार, प्रसार, शिक्षण, प्रशिक्षण सेमिनार, कैम्प, निशुल्क स्वास्थ्य मेला, रिसर्च सेन्टर व चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन करना। साधारण व असाध्य बीमारियों पर रिसर्च कराना।
- (43) सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में इवेन्ट मैनेजमेन्ट एव कैटरिंग आदि का कार्य बिना लाभ व हानि के करना।
- (44) अन्य सभी सेवा कार्य जो भारतीय लोक न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधानों के तहत क्षेत्र में आते हैं ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित किये जायेंगे।

### 13- ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति-

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में मैनेजिंग ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे तथा शेष 4 ट्रस्टी सदस्यों को पाँच वर्ष के बाद मनोनयन किया जायेगा। इनमें किसी भी पद के रिक्ति होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी उसकी पूर्ति अपने द्वारा मनोनीत करके कर लेंगे।

21/11/21





#### 14- प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद-

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद मैनेजिंग ट्रस्टी, तथा शेष 4 ट्रस्टी सदस्य होंगे, जिन्हें कार्यकारिणी समिति समय-समय पर मनोनीत करेगी और उन्हें ट्रस्ट के अधिकार सौंपेगी।

#### 5- ट्रस्ट की सदस्यता-

- (1) संस्थापक ट्रस्टी- रोहित वर्मा मैनेजिंग ट्रस्टी संस्थापक ट्रस्टी है, जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्ति ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में मैनेजिंग ट्रस्टी उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं।
- (2) सहयोगी ट्रस्टी- जो व्यक्ति ट्रस्ट को मु०-1001/-रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा, वह एक वर्ष के लिये सहयोगी ट्रस्टी होगा। अनुदान, चन्दा, दान तथा सदस्यता शुल्क की रसीद मैनेजिंग ट्रस्टी के हस्ताक्षर से दी जायेगी।
- (3) ट्रस्टी की सदस्यता- पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय से मोरल टरपिट्यूट के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग पत्र देने पर सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

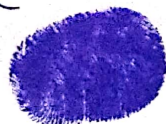
#### 16- प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- (1) प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
- (2) चल-अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना, बन्धक रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या तथा सम्पत्ति को बेचने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार होगा।
- (3) ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उपसमितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
- (4) ट्रस्ट व ट्रस्ट के द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक-पृथक खातों को समयानुसार चालू करने के लिये पदाधिकारी को अधिकृत करना व बैंक में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द करना या परिवर्तन कराना।
- (5) ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिये या वाद-विवाद में पैरवी करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी प्रकार की जांच के लिये ट्रस्टियों में से तीन सदस्यों को मध्यस्थ बनाकर ट्रिब्यूनल गठित करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
- (6) वार्षिक आय-व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
- (7) ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
- (8) आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
- (9) प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वे समस्त निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी, जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेगे।

#### 17- ट्रस्ट के सामान्य नियम-

- (1) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में 5 सदस्य होंगे, जिनमें मैनेजिंग ट्रस्टी के अलावा 4 ट्रस्टी सदस्य होंगे, जो ट्रस्ट के संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे।
- (2) ट्रस्ट की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे।

21/12/20





आवेदन सं०: 202600964000020

न्यास पत्र

बही सं०: 4

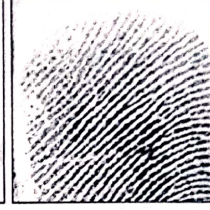
रजिस्ट्रेशन सं०: 1

वर्ष: 2026

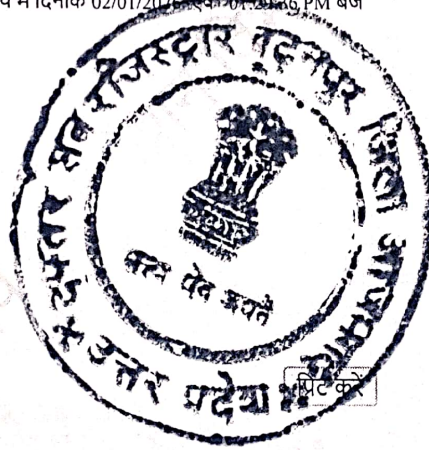
प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री रोहित वर्मा मैनेजिंग ट्रस्टी,  
पुत्र श्री स्व० सिद्धू वर्मा  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: ग्राम व पोस्ट अमारी जिला आजमगढ़

शंखिता 1



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/01/2026 रविवार 01:09:26 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द मिश्र  
उप निबंधक : बूढ़नपुर  
आजमगढ़  
02/01/2026  
अरविन्द्र मिश्र  
निबंधक लिपिक  
02/01/2026

- (3) प्रबन्धकारिणी समिति को बैठक की सूचना सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा या प्रमाणित माध्यम द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलाई जा सकती है।
- (4) ट्रस्ट में प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसे कमेटी में रखना है तो अध्यक्ष / ट्रस्टी की अनुमति से रखा जा सकता है।
- (5) दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में कमेटी की बैठक विधिमान्य होगी, किन्तु स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव विधिमान्य होंगे।
- (6) निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, समान मत पडने की स्थिति में अध्यक्ष / ट्रस्टी का मत निर्णायक होगा।
- (7) ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर आडिट करना प्रबन्ध समिति के निर्देशों पर होगा।

#### 18- ट्रस्ट के दस्तावेजों में संशोधन-

ट्रस्ट यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज के किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन आवश्यक है तो वह प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत के निर्णय से कर सकता है।

#### 19- विवादित स्थिति पर निर्णय-

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट के ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिये, अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

#### 20- ट्रस्ट के रिकार्ड व अभिलेख-

सदस्यता रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक, लेजर बुक आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

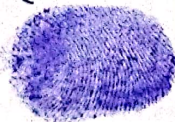
#### 21- अनुशासनात्मक कार्यवाही-

ट्रस्ट के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता है तो वह प्रबन्ध समिति में इस प्रस्ताव के लिये आवेदन कर सकता है। उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना अभ्यावेदन मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मैनेजिंग ट्रस्टी की यह जिम्मेदारी होगी कि 3 माह के अन्दर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करके उसके अभ्यावेदन पर विचार करे। प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा।

#### 22- वाद तथा प्रतिवाद-

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र न्यायालय जिला आजमगढ़ (उ०प्र०) रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर लाया गया वाद-विवाद, प्रतिवाद ट्रस्ट के पदनाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद की पैरवी के लिये ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत किया जा सकेगा तथा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकेगा।

21/11/21





आवेदन सं०: 202600964000020

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 1

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: ।

श्री रोहित वर्मा मैनेजिंग ट्रस्टी,

[ROHIT VERMA]

पुत्र श्री स्व० सिद्धू वर्मा

रोहित वर्मा

निवासी: ग्राम व पोस्ट अमारी जिला आजमगढ़

व्यवसाय: अन्य



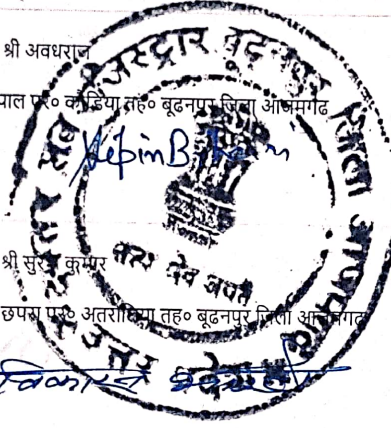
ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री बिपिन बिहारी, पुत्र श्री अवधराज

निवासी: सा० छिडी गोपाल पुर० काँडिया तह० बूढ़नपुर जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री विकास भारती, पुत्र श्री सुरेश कुमार

निवासी: सा० भीलमपुर छपरा पुर० अतराक्षी तह० बूढ़नपुर जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

विकास भारती



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द मिश्र

उप निबंधक : बूढ़नपुर

आजमगढ़

02/01/2026

अरविन्द्र मिश्र

निबंधक लिपिक आजमगढ़

02/01/2026

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।  
टिप्पणी :

*[Handwritten signature]*

प्रिंट करें



### 23- पदों का सृजन-

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिये आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पदास्थापित कर सकता है तथा उप समितियों का गठन करके ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों (विद्यालय) तकनीकी संस्थानों, चिकित्सालयों एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के लिये उपसमितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उपसमिति का गठन कर उन्हें कार्यभार सौंपा जायेगा।

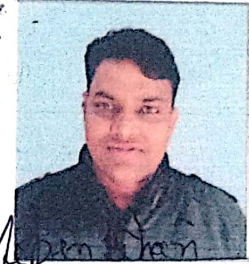
### 24- ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियों-

पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट, के पास 5,000.00 (पाँच हजार रुपये नगद चल सम्पत्ति है, जिसे किसी राष्ट्रीयकृत / प्राइवेट बैंक या डाकघर में खाता खोल कर जमा किया जायेगा। सरकारी स्टाम्प फीस नियमानुसार अदा की जा रही है और यह दस्तावेज रजिस्टर्ड कराया जा रहा है।

### 26- ट्रस्ट का कोष-

ट्रस्ट का खाता पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट, के नाम से खोला जायेगा जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा जिसमें कोई भी धन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित- वितरित किया जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य परियोजनाओं का खाता आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक व किसी एक ट्रस्टी के हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों के प्रबंधक मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक होंगे तथा विद्यालयों के खातों का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक द्वारा एकल रूप से तथा आवश्यकता अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

गवाह-1 *विपिन बिहारी*  
बिपिन बिहारी पुत्र अवधराज  
साकिन - छिड़ी गोपाल, परगना - कौड़िया  
तहसील - बुढनपुर, जिला - आजमगढ़  
आधार - xxxx xxxx 9453  
मो ० न ० 8707852599



गवाह- 2 *विकास भारती*  
विकास भारती पुत्र सुरेश कुमार  
साकिन - भीलमपुर छपरा, परगना - अतरौलिया  
तहसील - बुढनपुर, जिला - आजमगढ़  
आधार - xxxx xxxx 0038  
मो ० न ० 8429003935



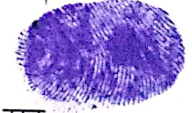
मजमून कर्ता  
अखिलेश वर्मा (एडवोकेट)  
बुढनपुर - आजमगढ़

*20/11/2026*

*20/11/2026*

(रोहित वर्मा)

पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट  
ग्राम- वांसी-जासी माँफी, पोस्ट- कौड़िया,  
जिला-आजमगढ़ (उ०प्र०)





आवेदन सं०: 202600964000020

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 23 के पृष्ठ 347 से 362 तक क्रमांक 1 पर दिनांक 02/01/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
अरविन्द मिश्र  
उप निबंधक : बूढ़नपुर  
आजमगढ़  
02/01/2026

